न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—186/2022/223 आर.टी.एक्ट (2022/186)

1. हरिसिंह पुत्र हमीरा
2. श्रीमती राधा पुत्री हमीरा
3. श्रीमती केली पुत्री हमीरा पत्नी लक्ष्मणसिंह
4. श्रीमती भंवरी पुत्री हमीरा
5. श्रीमती गीता पुत्री हमीरा
6. श्रीमती सीता पुत्री हमीरा

समस्त जाति रावतान निवासीगण ग्राम बलाड छोटी रूपाहेली तहसील ब्यावर जिला अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

हमीरा पुत्र पन्नासिंह (फौत)
श्रीमती उजीरी पत्नी हमीरा (फौत)

1. श्रीमती शारदा पत्नी महेन्द्रसिंह
2. महेन्द्रसिंह पुत्र हमीरा

समस्त जाति रावत निवासीगण ग्राम बलाड छोटी रूपाहेली तहसील ब्यावर जिला अजमेर।

3. उपपंजीयक, तहसील कार्यालय ब्यावर जिला अजमेर
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार ब्यावर जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 02.05.2022 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर जिला अजमेर राजस्व वाद संख्या 69/2013(2013/00032).

उपस्थितः—

1. श्री एस.पी.औझा, अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 03, 04.
3. रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः—07.06.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 69/2013 (2013/00032) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.05.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलांटस ने एक राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर के न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 188 बाबत खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंट जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 हमीरा एवं प्रतिवादी संख्या 4 श्रीमती उजीरी का स्वर्गवास हो चुका है के विरूद्ध ग्राम बलाड तहसील ब्यावर में स्थित खाता संख्या 309 व 310 के स्थित साबिक आराजी खसरा नम्बर 1661, 1662, 1669, 1670, 1671, 1690, 1691, 1692, 1693, 1684, 1649, 1650, 1651, 1652, 1654, 1655, 1656, 1667, 1673, 1700 जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 1994, 1995, 2000, 2008, 2020, 2021, 2024, 2031, 2034, 2035, 2050, 1987, 1988, 1988,1985, 1990, 1990, 1990, 2002, 2005, 2032 स्थित है जिस बाबत् वाद पत्र प्रस्तुत किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर ने दर्ज रजिस्टर किया तथा प्रतिवादीगण को तलब किया गया जिसमें प्रतिवादी संसख्या 2 व 3/रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे जिनकी एकपक्षीय कार्यवाही की गई तथा प्रतिवादी हमीरा एवं श्रीमती उजीरी पत्नी हमीरा की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया तथा यह निवेदन किया प्रतिवादी संख्या 1 की कोई नियत खराब नहीं है और ना ही वादीगण अथवा किसी प्रतिवादी के हितों का हनन करना चाहता है। प्रतिवादी संख्या 1 ने वर्णित विक्रय पत्र अपनी सहमति से नहीं करवाया है बल्कि उत्तरकर्ता प्रतिवादी को वृद्ध होने की वजह से उसकी पेंशन चालू करवाने का कह कर पेंशन की कार्यवाही कराने के बहाने तहसील परिसर में ले लाकर बिना पढाए व बिना समझाया कागजों व स्टाम्प पर हस्ताक्षर करवा लिए तथा उन पर बेचाननामा लिखा लिया, जबकि प्रतिवादी संख्या 1 ने कोई जमीन बेचान नहीं की है और ना ही उसको कोई प्रतिफल प्राप्त हुआ है बल्कि उक्त आराजी पर सभी पक्षकारान संयुक्त रूप से काबिज काश्त चले आ रहे है जिसमें सभी का हक व अधिकार निहित है प्रतिवादी संख्या 1 का केवल 1/8 ही हिस्सा उक्त आराजी में विद्यमान है तथा अन्य कथन अंकित करते हुए जवाब अनुसार वाद को डिक्री किए जाने उत्तरदाता को कोई आपत्ति नहीं है। वादीगण की ओर से शपथ पत्र प्रस्तुत हुए तथा दस्तावेजी साक्ष्य जो प्रदर्श–1 से प्रदर्श–14 प्रस्तुत हुए जो इस बात की ताईद करती है कि विवादित आराजी पैतृक पुश्तैनी आराजीयात है जो उनके दादा पन्ना पुत्र बुद्धा के नाम खातेदारी दर्ज रही जो वादीगण की पुश्तैनी आराजीयात है इसलिए पुश्तैनी आराजीयात में वादीगण का पन्ना के हिस्से में सभ्ज्ञी वारिसों का 1/9–1/9 हिस्सा हिन्दूउत्तराधिकारी अधिनियम अनुसार बनता है तथा हमीरा के नाम दर्ज हो जाने से अगर उसने कोई बेचान भी किया है तो वह वादीगण के हक व अधिकारो के प्रति बातील व बेअसर है। लेकिन उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर ने दस्तावेजी साक्ष्य व प्रस्तुत जवाब को नजरअंदाज कर तथा वादी के दादा को भूमि विरासत से प्राप्त ना होना मानकर तथा उनके द्वारा पारिवारिक आय से भी भूमि अर्जित नहीं होना मानकर वाद ग्रस्त भूमि में पुश्तैनी भूमि सिद्ध नहीं होने से वादीगण खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी नहीं होना मानकर वाद पत्र को अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 02.05.2022 के द्वारा वाद को खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 69/2013(2013/00032) में पारित निर्णय

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

व डिक्री दिनांक 02.05.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में अभिभाषक अपीलांटस एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 व 4 जिनका की दौराने वाद स्वर्गवास हो गया तथा विवादित आराजी पन्ना की खातेदारी आराजी रही है जो वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 3 के दारा थे इसलिए विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड अनुसार पैतृक व पुश्तैनी आराजीयात थी लेकिन उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर, ब्यावर ने उक्त आराजी को वादी के दादा की पुश्तैनी आराजी नहीं होने के आधार पर वाद डिक्री करवाने का अधिकारी नहीं माना जाबकि उनको वादी के दादा की आराजी को पुश्तैनी नहीं देखना था बल्कि वादीगण जो उनके पौते है कि पुश्तैनी आराजीयात के आधार पर निर्णय पारित करना था इस प्रकार लेकिन उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर, ब्यावर का निर्णय हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानो के विपरीत जाकर पुश्तैनी भूमि नहीं होना मानकर वाद खारिज करने में भूल की है। प्रतिवादी संख्या 1 हमीरा जो वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 3 के पिता है ने अपना जवाब प्रस्तुत किया और यह स्पष्ट रूप से कहा कि उसने विवादित आराजी को बेचान नहीं किया है और ना की कोई प्रतिफल प्राप्त किया है बल्कि विवादित आराजी में मेरा केवल 1/8 हिस्सा था तथा सभी वारीसानों का बराबर हक व अधिकार है जो अपने हिस्से पर काबिज है। तो फिर उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर, ब्यावर को वाद डिक्री करने के अलावा कोई चारा नहीं था क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी सहमति का जवाब प्रस्तुत किया था तथा बेचान पत्र को भी प्रतिवादी संख्या 2 जो प्रतिवादी संख्या 3 का पति एवं प्रतिवादी संख्या 1 का पुत्र है ने जालसाजी करके कागज व स्टाम्पों पर हस्ताक्षर करवा कर अगर कोई बेचाननामा करवाया है तो वह गलत है उसके बावजूद उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर, ब्यावर ने प्रतिवादी संख्या 1 व 3 जिनका की स्वर्गवास हो चुका है के जवाब को नजरअंदाज कर विवादित भूमि को पैतृक भूमि नहीं होना मानकर वाद खारिज किया गया हैं। उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर, ब्यावर ने पैतृक भूमि नहीं मानने का जो आधार अंकित किया है व गलत है उनके द्वारा यह मानकर यह निर्णय पारित किया गया है कि विवादित आराजी वादी के दादा को विरासत से प्राप्त नहीं हुई है और वादी के दादा के पारिवारिक आय से भी उक्त भूमि अर्जित नहीं की है इसलिए वादी के दादा की पुश्तैनी आराजीयात की श्रेणी में नही आती है और इस कारण पुश्तैनी भूमि नहीं होने के कारण वादी वादग्रस्त भूमि को खातेदार घोषित करवाने के अधिकारी नहीं पाए जाते, जबकि वादी के दादा हमीरा के नाम विवादित आराजी खातेदारी में दर्ज रही है तो वह वादीगण के लिए पुश्तैनी व पैतृक आराजी है लेकिन उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर, ब्यावर ने पैतृक भूमि नहीं होना मानकर वाद को खारिज करने में भूल की है। उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर, ब्यावर के समक्ष पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य जो प्रदर्श–1 से लेकर प्रदर्श–14 तक प्रस्तुत की गई है जिसमें साबिक खसरा नम्बर जो 1350 फसली से वादीगण के दादा पन्ना के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहे है तथा वर्किंग जमाबंदी संवत 2041 में वादीगण के दादा पन्ना 1/4 हिस्से के सहखातेदार रहे है तो फिर

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

राजस्व रिकार्ड से यह स्पष्ट है कि वादीगण की पुश्तैनी एवं पैतृक आराजी है इसलिए वादीगण का जन्म से हक व अधिकार निहित है इसलिए अगर किसी व्यक्ति के नाम राजस्व रिकार्ड में गलत इंद्राज के आधार पर सम्पूर्ण आराजी अगर उसके नाम दर्ज भी हो गई है तो उससे वादीगण के हक व अधिकार समाप्त नहीं होते है लेकिन उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर, ब्यावर ने पैतृक भूमि नहीं होना मानकर वाद को खारिज करने में भूल की है। हमीरा का विवादित आराजी में केवल 1/8 हिस्सा ही है जो उसके स्वयं के जवाब से स्पष्ट है साथ ही विवादित आराजी का उसके द्वारा बेचान नहीं करना ना ही कोई प्रतिफल प्राप्त करना अंकित किया है तथा सभी वारीसों का बराबर हक व अधिकार माना है एवं सभी को कबिज माना है तो फिर उसके द्वारा एंव प्रतिवादी संख्या 3 की जालसाजी से अगर कोई बयनामा सम्पूर्ण आराजी का करवा लिया है तो भी वादीगण के हक व अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इसलिए उनका वाद डिक्री होने योग्य था लेकिन उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर, ब्यावर ने पैतृक भूमि नहीं होना मानकर वाद को खारिज करने में भूल की है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 69/2013 (2013/00032) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.05.2022 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने दौराने जवाब बहस अपील में कथन किया कि वे उक्त प्रकरण में फोर्मल पक्षकार हैं।

6. हमने उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। बाद अवलोकन हमने पाया कि उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर, ब्यावर के समक्ष पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य जो प्रदर्श–1 से लेकर प्रदर्श–14 तक प्रस्तुत की गई है जिसमें साबिक खसरा नम्बर जो 1350 फसली से वादीगण के दादा पन्ना के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहे है तथा वर्किंग जमाबंदी संवत 2041 में वादीगण के दादा पन्ना 1/4 हिस्से के सहखातेदार रहे है जो कि राजस्व रिकार्ड से यह स्पष्ट है। राजस्व रिकार्ड में पूर्व में हमीरा के पिता स्व.पन्ना पुत्र बुद्धा की खातेदारी की आराजी थी। अगर किसी व्यक्ति के नाम राजस्व रिकार्ड में गलत इंद्राज के आधार पर सम्पूर्ण आराजी अगर उसके नाम दर्ज भी हो गई है तो उससे वादीगण के हक व अधिकार समाप्त नहीं होते है। जहॉ तक भूमि के पैतृक होने के प्रश्न का विनिश्चय करना है वहॉ भूमि के टाईटल के स्वत्व को देखा जाना है। यह देखा जाना है कि खातेदार के "Saurce of tenancy" क्या है। यदि स्वंम खातेदार ने केवल अपने धन से जमीन खरीदी है तो उसे स्वअर्जित समझा जा सकता है। अन्य तथ्यों यथा हिन्दू अविभाजित परिवार के माध्यम से प्राप्त या सम्पति धारा 15 या धारा 19 के माध्यम से प्राप्त सम्पति को स्वअर्जित सम्पति तब तक नहीं माना जा सकता जब तक कि सभी पक्षकारों को समुचित साक्ष्य, सनुवाई का अवसर प्रदान कर उक्त विषय बाबत न्यायालय द्वारा उद्घोषणा की आज्ञप्ति जारी नहीं कर दी जाती। यहॉ यह देखा जाना है कि पन्ना ने ये जमीन कैसे अर्जित की है और यदि पन्ना के पुत्र ने वंशानुक्रम (Inheritance) से यह जमीन प्राप्त की है तो स्वअर्जित कैसे हो सकती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र के बारे में स्पष्ट निर्णय नहीं किया है तथा उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर, ब्यावर ने पैतृक भूमि

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

नहीं होना मानकर वाद को खारिज किया है, जो उपरोक्त विवेचन के क्रम में निरस्त किया जाने योग्य है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है कि वे वाद में पक्षकारान की सम्यक तामील करवा कर, उनसे जवाब प्राप्त कर, वाद पत्र में तनकीयात कायम कर, तनकीयात बाबत पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए, तनकीयात पर विस्तृत निर्णय पारित करें।

7. अतः अपील अपीलांटस आंशिक स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर के द्वारा वाद संख्या 69/2013 (2013/00032) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.05.2022 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे वाद में पक्षकारान की सम्यक तामील करवा कर, उनसे जवाब प्राप्त कर, वाद पत्र में तनकीयात कायम कर, तनकीयात पर पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए, तनकीयात पर विस्तृत निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 07.06.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर